न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः 90 / 2015 दायर दिनाँक 08.07.2015

प्रार्थी

श्रवणकुमार पुत्र रामप्रताप जाति स्वामी निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)

बनाम्

अप्रार्थीगण

1. ओरियन्टल कम्पनी लिमिटेड डीडवाना निर्देशक कमल नारायण पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण जाति नाथाणी बांगड निवासी डीडवाना हाल 21 स्टान रोड कोलकत्ता पश्चिम बंगाल
2. ओरियन्टल कम्पनी लिमिटेड डीडवाना निर्देशक विनिता बांगड पत्नि हेमन्त कुमार बांगड निवासी 21 स्टान रोड कोलकत्ता पश्चिम बंगाल

प्रार्थना–पत्र बाबत्
अस्थायी व्यादेश हेतु
अन्तर्गत धारा– 212 R.T.Act.

उपस्थितः–
1. श्री हरदीन राम जाखड वकील प्रार्थी।
2. श्री राजेन्द्र कुमार माथुर वकील अप्रार्थीगण के आममुख्त्यार कोशलेन्द्र नागौरी पुत्र माणकचन्द नागौरी की ओर से

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **14.05.2025**

प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा डीडवाना के पुराना खेत खसरा संख्या 715 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा, खेत खसरा संख्या 748 रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा, व खते खसरा संख्या 715 रकबा 18 बिस्वा, (बाडा) जिनके नये खसरा संख्या 1301 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा तथा खेत खसरा संख्या 1294 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, खेत खसरा संख्या 1298 रकबा 18 बिस्वा बने है स्थित है। उक्त खसरान की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के समय से पहले द्वारका प्रसाद पुत्र कन्हैयालाल सिंगी (माहेश्वरी) निवासी डीडवाना के नाम से राजस्व रेकर्ड खातेदारी में गलत दर्ज थी। इस खेत पर कब्जा काश्त पीढियों से प्रार्थी के दादा व पडदादा व पिता रामप्रताप का ही चला आ रहा था। उक्त द्वारका प्रसाद पीढीयों से व्यापारी वर्ग का व्यक्ति था और व्यापार करता था। उसके बढेरों ने व द्वारका प्रसाद ने कभी काश्त का धन्धा नहीं किया था। उक्त भूमि बाबत खतौनी में कृषक खातेदार के कॉलम संख्या 4 में रामचन्द्र वल्द लालदास कोम साद साकिन देह खातेदार खसरा संख्या 1293, 1294, 1298, 1301 कुल रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा लिखा है। और इस खतौनी बाबत् किसी को कोई आपत्ति दिनांक 13.04. 1962 को डीडवाना में पेश करने हेतु तत्कालिन सैटलमेन्ट अमीन द्वारा नोटिश जारी किया गया। परन्तु किसी ने कोई आपत्ति पेश नहीं की इस लिए उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी प्रार्थी के दादा रामचन्द्र को मिली और फलस्वरूप रामचन्द्र पुत्र लालदास जाति स्वामी निवासी डीडवाना के नाम भू–प्रबंधक विभाग से पर्चा लगान नम्बर 900 जारी किया गया। हरिमोहन व मुरली मनोहर [illegible] द्वारकाप्रसाद के देहान्त के बाद उक्त दोनो ने आपस में साजिश [illegible] प्रार्थी [illegible]दा से जमीन हडपने की नियत से एक फर्जी बैचाण रजिस्ट्री आरियन्टल [illegible] डीडवाना के नाम दिनांक 22.11.1962 का करवा[illegible] खातेदारी प्रार्थी के दादा रामचन्द्र के नाम राजस्व [illegible] उक्त बैचाण दिनांक 22. 11.1962 अवैध है। उक्त बैचाण की ओट में आरियन्टल [illegible]ी व हरिमोहन व मुरली मनोहर ने राजस्व अधिकारी, पटवारी, आर. आई से सांठ–गांठ कर खतौनी संवत् 2014 से 2017 में कांट–छाट की ओर काफलम संख्या 4 जिसमें खालसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:55:51 IST
Reason: SelfAttested

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

शब्द लिखा है। उसके निचे हरिमोहन, मुरलीधर पुत्र द्वारकाप्रसाद महाजन देह लश्कर लिखा दिया तथा कॉलम संख्या 5 में ओरियन्टल कम्पनी लिख दिया और कॉलम 16 में जरिये नामान्तकरण कर करोस लगा दिया। इस प्रकार इस दस्तावेज को फर्जी बना दिया। जिसका इल्म प्रार्थी को नकल लेने से ज्ञात हुआ कि बैचाण रजिस्ट्री 2019 में बनाई तो संवत 2014 से 2017 की खतौनी में हरिमोहन, मुरलीधर व ओरियन्टल कम्पनी का नाम कैसे दर्ज हुआ। इसके बावजुद प्रार्थी के दादा का नाम उक्त खेतो की खतौनी में संवत् 2033 से 2038 में दर्ज है। औरियन्टल कम्पनी के नाम बैचाण रजिस्ट्र गलत थी एवं पुराने खसरा नम्बर की थी। फिर बिना किसी म्युटेशन के इनका नाम खतौनी में संवत् 2014 से 2017 में कैसे लिखा गया। इसके अलावा बैचाण रजिस्ट्री 1962 में हुई तो सन् 1982 तक 20 साल तक इन्होने म्युटेशन क्यों नहीं कराया और 19.01.1982 को जब खातेदारी रामचन्द्र के नाम दर्ज थी और रामचन्द्र सन् 1970 में फौत हो चुका था तो रामचन्द्र के वारिसानों को बीना रिकोर्ड पर लाये व बिना उनको सूचना दिये म्युटेशन संख्या 658 दिनांक 19.01.1982 कैसे भर कर स्वीकार कर लिया। इस म्युटेशन के अप्रार्थी को कोई खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं हुए। बैचाण रजिस्ट्री कराने के लिए राजस्व रेकर्ड में खोतदारी होना आवश्यक होता है। खातेदार ही बैचाण या हस्तांतरण करने का अधिकारी है अतः हरिमोहन द्वारा बैचाण दिनांक 19.01.1982 अवैध है।

प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार है कि ता फैसला दावा प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण 1 व 2 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश फरमावे कि मौजा डीडवाना के पुराना खेत खसरा संख्या 715 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा, खेत खसरा संख्या 748 रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा, व खते खसरा संख्या 715 रकबा 18 बिस्वा, (बाडा) जिनके नये खसरा संख्या 1301 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा तथा खेत खसरा संख्या 1294 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, खेत खसरा संख्या 1298 रकबा 18 बिस्वा की भूमि में किसी भी प्रकार की दखलांदाजी, हस्तक्षेप, बैचाण, हस्तांतरण, उपयोग उपभोग व प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा या रूकावट आदि न तो स्वयं करे न ही अन्य अपने ऐजेन्ट से करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को बाबत जबाबदेही तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 के आमखुत्याद कोशलेन्द्र नागौरी पुत्र माणकचन्द नागौरी को ओर जवाब पेश कर अपने जवाब में बताया कि द्वारका प्रसाद सींघी की खातेदारी सही दर्ज थी। कब्जा काश्त भी द्वारका प्रसाद सींघी का ही था। उक्त खेतों पर प्रार्थी के दादा रामचन्द्र अथवा पिता राम प्रताप का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है वर्तमान में भी प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि उक्त वर्णित खसरा नम्बर के बारे में कोई आपत्ति दिनांक 13/4/1962 को जारी करना अथवा खातेदारी प्रार्थी के दादा रामचन्द्र को इस रूप में मिली हो। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि द्वारका प्रसाद के देहान्त के पश्चात उसके दोनों लडकों के मल में लालच आ गया हो तथा दोनों लडकों ने आपस में साजिश कर पंजीकृत विक्रय विलेख 22/11/1962 को ओरियन्टल कम्पनी के पक्ष में आया हो एवं उक्त विक्रय विलेख के समय खातेदारी प्रार्थी के दादा के नाम हो। यह सुस्थापित है कि बिना खातेदारी कोई हस्तान्तरण विलेख कैसे सम्पादित हो सकता है। उक्त विक्रय विलेख दिनांक 22/11/1962 को प्रार्थी पक्ष ने कभी भी को चुनौति नहीं दी।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने [illegible] में विशेष आपत्ति पेश कर बताया कि संवत 2010 से 2013 तक व 2014 से [illegible] की खतौनी में भी [illegible] खसरा नम्बर की खातेदारी द्वारकाप्रसाद बेटा क[illegible] मुरलीधर बेटा द्वारका प्रसाद के नाम ही थी। राजस्व [illegible] की गलती से बाद की प्रविष्ठी में गलत रूप रामचन्द्र बेटा लालदास (साद) का नाम की गलत प्रविष्ठी हुई इसकी जानकारी होते ही खातेदारों ने रामचन्द्र (जो उक्त द्वारका दास के बेटों हरिमोहन, मुरलीधर के पास केवल पूजा का कार्य करता था और वह पूजा का कार्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:55:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

बाबत् इस्तीफा देकर छोड भी चुका था) के नाम गलत रूप से आयी तो उक्त रामचन्द्र ने दिनांक 21/11/1962 को ही एक ईकरारनामा उक्त हरिमोहन, मुरलीधर बेटा, द्वारकाप्रसाद महाजन, सिंगी डीडवाना निवासी के इस आशय का लिख दिया कि उक्त जमीन पर उसकी स्वयं की काश्त नहीं थी उसने आप की तरफ से काश्त की है। जो गत् वर्ष ही उक्त जमीन का कब्जा आम हरिमोहन, मुरलीधर को सौंप दिया था व इस्तीफा भी दे दिया था। रामचन्द्र ने यह भी स्पष्ट लिखा कि उसके केवल मंदिर के पुजारी होने के कारण से गलत दर्ज हो गया था उसका उक्त जमीन बगीची व कुंए से कोई लेना–देना नहीं है वह इस्तीफा दे चुका है उक्त ईकरारनामा दिनांक 21/12/1962 को लिखकर दिनांक 22/12/1962 को तहसीलदार डीडवाना प्रमाणित कर दिया। उक्त भमि का हरिमोहन सिंगी ने दिनांक 05/12/1962 को अप्रार्थी ओरियन्टल कम्पनी को खातेदारी अधिकारों सहित विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया। प्रार्थी के पिता श्री रामप्रताप ने उक्त ओरियन्टल कम्पनी के विरूद्ध एक अपील धारा 75 भू–राजस्व अधि. के दिनांक 12/06/2002 को (अपील संख्या 30/2002) पेश की जिसे श्रीमान न्यायालय एस.डी.एम द्वारा दिनांक 24/03/2003 को खारीज कर दिया। जिसकी अपीलीय कार्यवाही काफी वर्षों से विभिन्न स्थलों पर लम्बित है। प्रार्थी ने ओरियन्टल कम्पनी के निदेशकों के नाम भी गलत रूप से लिखें है। कमल नारायण नाथानी उक्त ओरियन्टल कम्पनी के निदेशक नहीं है बल्कि उक्त कम्पनी के निदेशक अन्य व्यक्ति है जिनका नाम प्रार्थी ने कहीं दर्ज नहीं किया है।जिसके आभाव में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस मुख्यतः उनके प्रार्थना–पत्र पर आधारित रही। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि उक्त खसरान की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के समय से पहले द्वारका प्रसाद पुत्र कन्हैयालाल सिंगी (माहेश्वरी) निवासी डीडवाना के नाम से राजस्व रेकर्ड खातेदारी में गलत दर्ज थी। इस खेत पर कब्जा काश्त पीढियों से प्रार्थी के दादा व पडदादा व पिता रामप्रताप का ही चला आ रहा था। अतः प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की पारित किया जाना न्यायसंगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी द्वारकाप्रसाद बेटा कन्हैयालाल महाजन व इसके पश्चात हरिमोहन, मुरलीधर बेटा द्वारका प्रसाद के नाम ही थी। राजस्व कर्मचारियों की गलती से बाद की प्रविष्ठी में गलत रूप रामचन्द्र बेटा लालदास (साद) का नाम की गलत प्रविष्ठी हुई इसकी जानकारी होते ही खातेदारों ने रामचन्द्र (जो उक्त द्वारका दास के बेटों हरिमोहन, मुरलीधर के पास केवल पूजा का कार्य करता था और वह पूजा का कार्य बाबत् इस्तीफा देकर छोड भी चुका था) के नाम गलत रूप से आयी तो उक्त रामचन्द्र ने दिनांक 21/11/1962 को ही एक ईकरारनामा उक्त हरिमोहन, मुरलीधर बेटा, द्वारकाप्रसाद महाजन, सिंगी डीडवाना निवासी के पक्ष में निष्पादित कर दिया था।

बहस पर मनन किया रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन व बहस पर मनन करने के उपरान्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति के लिए आवश्यक तीनो बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:55:51 IST
Reason: SelfAttested

1. **प्रथम दृष्टया मामला :–** मौजा डीडवाना के पु... खसरा संख्या 715 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा, ... 48 ... 06 बीघा 03 बिस्वा, व खते खसरा सं... 15 रकबा 18 बिस... डा) जिनके नये खसरा संख्या 1301 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा ... खसरा संख्या 1294 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, खेत खसरा संख्या ...98 रकबा 18 बिस्वा भूमि हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रार्थी इस्तदुआ कर रहा है। प्रश्नगत भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि नहीं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है।

vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

प्रार्थी दादा रामचन्द्र बेटा लालदास ने इकरारनामा में स्वीकार किया है कि महकमा सेटलमेंट से पर्चा जो मेरे नाम से जारी हुवा है जो गलत है मैं तो आप की तरफ से काश्त कारता था। खातेदारी आपकी है मैं तो मंदिर को पुजारी होने से मेरे नाम दर्ज करवा दिया था। अतः प्रार्थी के दादा द्वारा अप्रार्थीगण द्वारकाप्रसाद बेटा कन्हैयालाल महाजन की ओर से काश्त किये जाने से एवं अप्रार्थीगण खातेदार कब्जा काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दु प्रार्थी के विपक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. **सुविधा का संतुलन** :– अप्रार्थीगण खातेदार कब्जा काश्त होने से एवं प्रार्थी द्वारा द्वारकाप्रसाद बेटा कन्हैयालाल महाजन की ओर से काश्त किये जाने से मात्र से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतित नहीं होता है। अप्रार्थीगण खातेदार कृषक होने से अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो असुविधा अप्रार्थीगण को होगी ना कि प्रार्थी को। प्रार्थी इस बिन्दु को समझाने में विफल रहा कि अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को किस प्रकार की असुविधा का सामना करना पडेगा। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के विपक्ष में निर्णित किया जाता है।

3. **अपूरणीय क्षति** :– अप्रार्थीगण खातेदार कृषक होने से अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण को होगी ना कि प्रार्थी को। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के विपक्ष में निर्णित किया जाता है।

उपरोक्त प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के विपक्ष में निर्णित होने के कारण प्रार्थी अप्रार्थीगण खातेदारी की भूमि में अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति का हकदार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

–:आदेश :–

मौजा डीडवाना के पुराना खेत खसरा संख्या 715 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा, खेत खसरा संख्या 748 रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा, व खते खसरा संख्या 715 रकबा 18 बिस्वा, (बाडा) जिनके नये खसरा संख्या 1301 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा तथा खेत खसरा संख्या 1294 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, खेत खसरा संख्या 1298 रकबा 18 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनॉक 14.05.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:55:51 IST
Reason: SelfAttested